उत्तर प्रदेश शासन

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

संख्या-   /2015/1372/69-1-2015-14(80)/2014

लखनऊ : दिनांक: 12 जून, 2015

<u>कार्यालय-आदेश</u>

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अधीन अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशानुसार नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नियन्त्रणाधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश के कार्मिकों के उक्त अधिनियम में सेवा सम्बन्धी अधिसूचित 10 प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यालय-आदेश संख्या-2134/69-1-2014-14(80)/2014 दिनांक 13.10.2014 द्वारा श्री एच0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, नगरीय रोगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कार्यालय-आदेश संख्या-2631/69-1-2014-14(80)/2014 दिनांक 24.12.2014 द्वारा श्री मुहम्मद जुबेर अली हाशमी, विशेष सचिव, नगरीय रोगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किया गया था।

2. श्री एच0पी0 सिंह की विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नत होने एवं श्री मुहम्मद जुबेर अली हाशमी के स्थानान्तरित हो जाने फलस्वरूप उक्त कार्यालय-आदेश संख्या-2134/69-1-2014-14(80)/2014 दिनांक 13.10.2014 एवं कार्यालय-आदेश संख्या-2631/69-1-2014-14(80)/2014 24.12.2014 को एतदद्वारा संशोधित करते हुए विशेष सचिव, नगरीय रोगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सचिव, नगरीय रोगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को द्वितीय अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-484/2015/1373(1)/ 69-1-2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर पदेश शासन।
3. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर पदेश शासन।
4. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. नगर विकास अनुभाग-8
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.nic.in